दृष्टि The Vision

RAS Series : Book-3

राजस्थान, भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था

(पूर्णतः नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तक)

द्वितीय संस्करण

RAS/RTS सहित अधीनस्थ सेवाओं एवं
पटवार, एलडीसी, टीचर्स ग्रेड (I & II) सुपरवाइज़र,
सब-इंस्पेक्टर सहित अन्य एकदिवसीय परीक्षाओं के लिये संपूर्ण पुस्तक

अब घर बैठे कीजिये
आई.ए.एस. की तैयारी
क्योंकि हम आ रहे हैं
आपके घर

हिंदी साहित्य

द्वारा– डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

मोड : ऑनलाइन / पेन ड्राइव

IAS परीक्षा में सर्वाधिक अंकदायी वैकल्पिक विषय 'हिंदी साहित्य' पढ़िये सिविल सेवा जगत के सबसे लोकप्रिय शिक्षक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति से। इस कोर्स में शामिल हैं 157 रोचक कक्षाएँ, जिनमें IAS का संपूर्ण पाठ्यक्रम एकदम आधारभूत स्तर से शुरू करते हुए पढ़ाया गया है। इन कक्षाओं को गंभीरता से करने और क्लास नोट्स (जो आपके पास भेजे जाएंगे) को पढ़ने के बाद आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन कक्षाओं से परीक्षा की तैयारी तो होगी ही, साथ ही जीवन के प्रति सुलझा हुआ नज़रिया भी विकसित होगा।

यह कोर्स ऑनलाइन मोड (ऐप) के अलावा पेन ड्राइव तथा टैबलेट मोड में भी उपलब्ध है। यदि आप इंटरनेट नेटवर्क की कमी या किसी अन्य कारण से यह कोर्स मोबाइल फोन की बजाय लैपटॉप/कंप्यूटर या टैबलेट पर करना चाहते हैं तो कृपया ऐप के होम पेज पर जाकर पेनड्राइव कोर्स या टैबलेट कोर्स की टैब पर क्लिक करें।

एडमिशन प्रारंभ

कक्षाओं की गुणवत्ता को परखने के लिये डेमो वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल **Drishti IAS** की प्लेलिस्ट **Online Courses** में देखें

ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हर जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट **www.drishtiias.com** या **Drishti Learning App** पर FAQs पेज देखें

इस कोर्स से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406440-41 नंबर पर सीधे बात या मैसेज करें

हिंदी साहित्य : कोर्स की विशेषताएँ

1. UPSC के पाठ्यक्रम के लिए 400+ घंटे की कक्षाएँ।
2. UPPCS एवं BPSC के विशिष्ट टॉपिक्स के लिये 30-30 घंटे की पृथक कक्षाएँ।
3. प्रत्येक कक्षा को 3 बार देखने की सुविधा, ताकि आप टॉपिक को पढ़ने के बाद रिवीज़न भी कर सकें।
4. हर क्लास में उस टॉपिक से IAS, PCS में पूछे गए और अन्य संभावित प्रश्नों का विस्तृत अभ्यास।
5. स्टेट-ऑफ-द-आर्ट कैमरा और साउंड क्वालिटी, जो क्लास के अनुभव को एकदम वास्तविक जैसा बनाती है।
6. पाठ्यक्रम की टेक्स्ट बुक्स व नोट्स भी इस कार्यक्रम में शामिल, जिनके अलावा किसी अन्य अध्ययन सामग्री की आवश्यकता नहीं।

अधिक जानकारी के लिये अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

Drishti Learning App

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली) :
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
☎ 87501 87501

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज) :
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
☎ 87501 87501

RAS Series : Book-3

राजस्थान, भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501

Website: www.drishtiias.com
E-mail : booksteam@groupdrishti.com

शीर्षक : राजस्थान, भारत एवं विश्व की अर्थव्यवस्था

लेखक : टीम दृष्टि

द्वितीय संस्करण- अगस्त 2021

मूल्य : ₹ 410

प्रकाशक

VDK Publications Pvt. Ltd.
(दृष्टि पब्लिकेशन्स)
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- **© कॉपीराइट:** VDK Publications Pvt. Ltd. (दृष्टि पब्लिकेशन्स), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
- एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

अनुक्रम

खंड-A: राजस्थान की अर्थव्यवस्था

1. राजस्थान अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन ..... 3 – 19
2. राजस्थान में आर्थिक नियोजन ..... 20 – 30
3. राजस्थान : कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र ..... 31 – 48
4. राजस्थान : औद्योगिक क्षेत्र ..... 49 – 60
5. राजस्थान : सेवा क्षेत्र ..... 61 – 68
6. राजस्थान : आधारभूत संरचना एवं संसाधन ..... 69 – 87
7. राजस्थान : विकास के विविध आयाम ..... 88 – 126
8. राजस्थान : प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम ..... 127 – 153
9. राजस्थान : बजट 2021-22 ..... 154 – 162

खंड-B: भारत की अर्थव्यवस्था

10. भारतीय अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन ..... 3 – 20
11. राष्ट्रीय आय ..... 21 – 30
12. भारत में आर्थिक नियोजन ..... 31 – 56
13. समावेशी विकास, गरीबी, बेरोज़गारी एवं खाद्य सुरक्षा ..... 57 – 84
14. भारत में कृषि क्षेत्र ..... 85 – 118
15. भारत में औद्योगिक क्षेत्र ..... 119 – 147
16. भारत में सेवा क्षेत्र ..... 148 – 163
17. बैंकिग, वित्तीय प्रणाली एवं मुद्रास्फीति ..... 164 – 212
18. लोक वित्त, राजकोषीय नीति एवं कर संरचना ..... 213 – 248
19. केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम ..... 249 – 294

खंड-C: विश्व की अर्थव्यवस्था

20. भारत का वैदेशिक क्षेत्र ..... 3 – 17
21. महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समूह एवं समझौते ..... 18 – 35

1 राजस्थान अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन
(Rajasthan Economy : An Overview)

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किमी. है। यह देश के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। इसके पूर्वोत्तर में पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश; दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश एवं दक्षिण-पश्चिम में गुजरात स्थित है। पाकिस्तान से लगी हुई राजस्थान की सुदीर्घ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राज्य की स्थलाकृति में विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला 'अरावली' पहाड़ियों की प्रधानता है। ये पहाड़ियाँ राज्य के मध्य मार्ग से होते हुए दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर जाती हैं। इसका पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी भाग मरु या अर्द्ध मरुस्थलीय है, जो वृहद् भारतीय मरुस्थल (थार का रेगिस्तान) के नाम से जाना जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य 7 संभाग एवं 33 ज़िलों में विभाजित है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) एवं प्रति व्यक्ति आय (पी.सी.आई.) राज्य की अर्थव्यवस्था की समग्र उपलब्धि को प्रदर्शित करती है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्राय: 'राज्य आय' के नाम से जाना जाता है, जो एक निश्चित समयावधि में राज्य के आर्थिक निष्पादन के आकलन का प्रमुख साधन है तथा यह आर्थिक विकास के स्तर में आए परिवर्तन व इसकी दिशा को इंगित करता है। प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त की जाती है। प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर एवं कल्याण का सूचक है।

राजस्थान की प्रमुख विशेषताओं का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण

सूचक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
भौगोलिक क्षेत्रफल	2011	लाख वर्ग किमी.	3.42	32.87
जनसंख्या	2011	करोड़	6.85	121.09
दशकीय वृद्धि दर	2001–2011	प्रतिशत	21.3	17.7
जनसंख्या घनत्व	2011	जनसंख्या प्रति वर्ग किमी.	200	382
कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	2011	प्रतिशत	24.9	31.1
अनुसूचित जाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	17.8	16.6
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	13.5	8.6
लिंगानुपात	2011	महिलाएँ प्रति हज़ार पुरुष	928	943
बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष)	2011	बालिकाएँ प्रति हज़ार बालक	888	919
साक्षरता दर	2011	प्रतिशत	66.1	73.0
साक्षरता दर (पुरुष)	2011	प्रतिशत	79.2	80.9
साक्षरता दर (महिला)	2011	प्रतिशत	52.1	64.6
कार्य सहभागिता दर	2011	प्रतिशत	43.6	39.8
जन्म दर	2018*	प्रति हज़ार जनसंख्या	24.0	20.0
मृत्यु दर	2018*	प्रति हज़ार जनसंख्या	5.9	6.2
शिशु मृत्यु दर	2018*	प्रति हज़ार जीवित जन्म	37	32
मातृ मृत्यु अनुपात	2016–18*	प्रति लाख जीवित जन्म	164	113
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	2014–18*	वर्ष	68.7	69.4

* एस.आर.एस. बुलेटिन: भारत का महारजिस्ट्रार कार्यालय

2 राजस्थान में आर्थिक नियोजन
(Economic Planning in Rajasthan)

राजस्थान का कुल भोगोलिक क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान प्रशासनिक रूप से 7 डिवीजन एवं 33 ज़िलों में बँटा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान की जनसंख्या 6.86 करोड़ है। राज्य में सामाजिक पहचान, जीविकोपार्जन एवं आय के वितरण के स्तर पर अत्यधिक असमानता है। राज्य में अजीविका के प्रमुख स्रोत कृषि और पशुपालन हैं। पिछली सदी के कम से कम 40 वर्ष राजस्थान के लिये सूखे के रहे हैं जिससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था के निम्न वृद्धि दर के कारण (Reason of Low Growth Rate of Rajasthan's Economy)

- **भौगोलिक स्थिति:** अरावली के पश्चिम में थार का मरुस्थल पाया जाता है। इस क्षेत्र में वनस्पतियों का अभाव, वर्षा की कमी, परिवहन सुविधा का अभाव आदि के कारण यह क्षेत्र पूर्ण विकसित नहीं हो पाया है।
- **प्राकृतिक बाधाएँ:** वर्षा की अनिश्चितता, अकाल, सूखा, पानी की समस्या, भूमि का कटाव आदि कारकों के कारण कृषि, पशुपालन, उद्योगों आदि पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
- **विद्युत शक्ति का अभाव:** वर्ष 1950-51 में 13 मेगावाट क्षमता थी, जो वर्तमान में बढ़कर मार्च 2020 तक 21,176.00 मेगावाट हो गई है। इसके बावजूद अभी भी राजस्थान विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया।
- **अवसंरचना की कमी:** सड़क परिवहन, रेल परिवहन तथा बंदरगाह से दूरी आदि बाधक तत्त्व हैं। अभी भी बहुत से कस्बों तक परिवहन की व्यवस्था सुचारु नहीं हुई है। रेल परिवहन का विद्युतीकरण, डबल ट्रैक की कमी, तहसीलों तक रेल परिवहन का अभाव आदि कमियाँ अभी भी विद्यमान हैं।
- **सिंचाई के साधनों का अभाव:** राज्य में कृषि का उत्पादन मुख्यत: मानसून के उचित समय पर आने पर निर्भर करता है। चूँकि राजस्थान में मानसून की समयावधि कम है, अत: मौसम की अस्थिर उपस्थिति की वज़ह से किसानों को वर्षा एवं भूमिगत जल दोनों पर निर्भर रहना पड़ता है जिसकी वज़ह से उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- **खनिज व ईंधन का अभाव:** राजस्थान में कच्चा लोहा व कोयले का अभाव है। ईंधन के अभाव से वृहद् उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है।
- **जनसंख्या वृद्धि, बेरोज़गारी:** राजस्थान की दशकीय वृद्धि 21.3% है, जो राष्ट्रीय वृद्धि से अधिक है। जनसंख्या वृद्धि से बेरोज़गारी की समस्या बढ़ रही है। इसके अलावा प्राकृतिक प्रकोप और वित्तीय साधनों की कमी से समस्या जटिल हो गई है।
- **वित्तीय साधनों का अभाव:** आर्थिक विकास के लिये पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। राज्य पर बकाया कर्ज़ का भार बढ़ता जा रहा है। विद्युत क्षेत्र में उचित निवेश के बावजूद उचित प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है।
- **अन्य कारण:** सामाजिक पिछड़ापन, कुशल श्रमिकों का अभाव, शिक्षा का स्तर, प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव आदि अन्य कारक हैं।

राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाएँ (Five Year Plans of Rajsthan)

पंचवर्षीय योजनाएँ (Five Year Plans)

योजना	स्वीकृत व्यय (₹ करोड़ में)	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	प्रमुख बिंदु
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)	64.50	54.15	कृषिगत उत्पादन बढ़ाना, शिक्षा, सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)	105.27	102.74	सिंचाई, ऊर्जा, सामाजिक सेवाओं पर बल तथा पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण।
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66)	236.00	212.70	ऊर्जा, औद्योगिक व खनन पर विशेष ज़ोर दिया गया।
वार्षिक योजना (1966-69)	132.60	136.76	युद्ध काल में वार्षिक योजना का निर्माण हुआ, जिसमें शक्ति, सिंचाई व खाद्य पर बल दिया गया।
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74)	306.21	308.79	क्षेत्रीय विकास की अवधारणा पर बल। सूखा संभाव्य क्षेत्र, डेयरी उद्योग, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया।

3 राजस्थान : कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र
(Rajasthan : Agriculture and Allied Sector)

प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग किया जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि तथा कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियाँ (वानिकी, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, डेयरी विकास, फसल, सिंचाई आदि) शामिल होती हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

कृषि (Agriculture)

राजस्थान के गठन के समय राज्य की अर्थव्यवस्था मूलत: एक कृषि अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में विकास का स्तर बहुत कम था। कृषि गतिविधियाँ भी गुणात्मक रूप से बहुत खराब और कृषि समुदायों की जीवन-शैली काफी दयनीय थी। राजस्थान की जनसंख्या का लगभग 62% अपनी आजीविका के लिये कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर रहता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व को देखते हुए राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में संलग्न बड़ी आबादी के लिये बेहतर जीवन-शैली एवं कृषि को मानसून की अनिश्चितताओं और प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिये कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्द्धन (जी.एस.वी.ए.) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वर्ष 2015-16 में ₹1.37 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹1.77 लाख करोड़ हो गया, जो कि 5.26 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि (सी.ए.जी.आर.) दर्शाता है, जबकि प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्द्धन (जी.एस.वी.ए.) वर्ष 2015-16 में ₹1.68 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹2.68 लाख करोड़ हो गया, जो कि 9.81 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि (सी.ए.जी.आर.) को दर्शाता है।

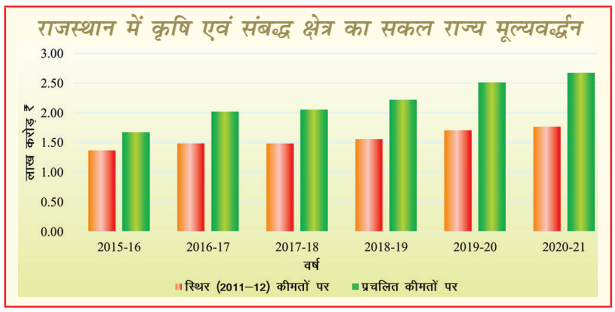

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्द्धन (जी.एस.वी.ए.) की वृद्धि दर

विकास के संदर्भ में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वर्ष 2020-21 में वर्ष 2019-20 की तुलना में 3.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि की विकास दर जो वर्ष 2015-16 में -0.33 प्रतिशत थी, तीव्र गति से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 8.72 प्रतिशत हो गई।

राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्द्धन (जी.एस.वी.ए.) में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान और इसके उपक्षेत्रों की संरचना

राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्द्धन (जी.एस.वी.ए.) में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2011-12 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 28.56 प्रतिशत था, जो कि बढ़कर वर्ष 2020-21 में 29.77 प्रतिशत हो गया। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उपक्षेत्रों में फसल, पशुधन, मत्स्य तथा वानिकी व लॉगिंग शामिल हैं। वर्ष 2020-21 में फसल क्षेत्र का अंश 48.36 प्रतिशत, पशुधन क्षेत्र का अंश 42.62 प्रतिशत, वानिकी एवं लॉगिंग क्षेत्र का अंश 8.67 प्रतिशत और मत्स्य क्षेत्र का अंश 0.34 प्रतिशत है।

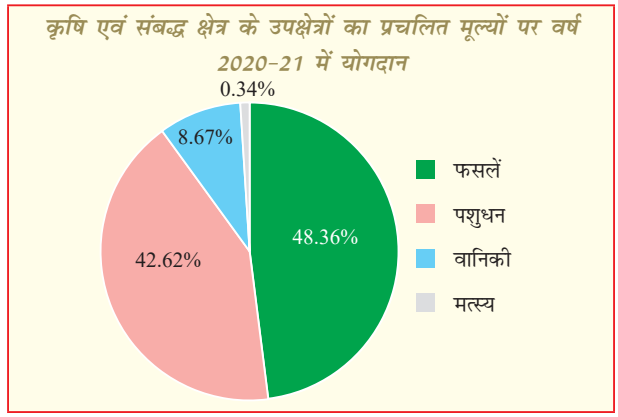

भू-उपयोग *(Land Utilisation)*

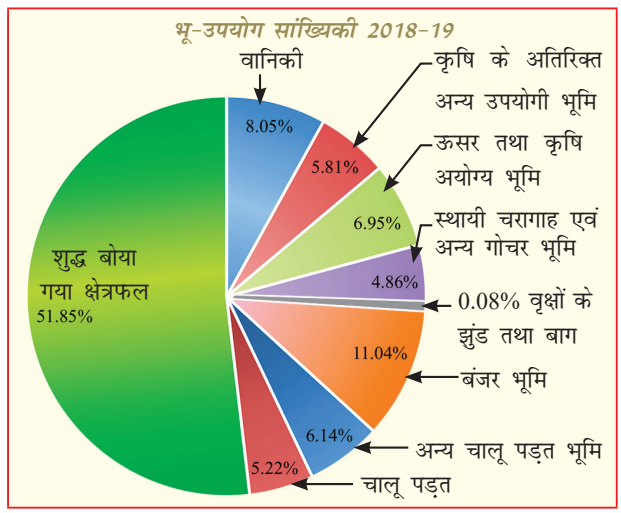

राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 2018-19 में 342.87 लाख हेक्टेयर है। इसमें से 8.05 प्रतिशत क्षेत्रफल (27.60 लाख हेक्टेयर) वानिकी के अंतर्गत, 5.81 प्रतिशत क्षेत्रफल (19.93 लाख हेक्टेयर) कृषि

4 राजस्थान : औद्योगिक क्षेत्र
(Rajasthan : Industrial Sector)

'अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र' उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को विनिर्माण प्रणाली के जरिये अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इसे 'औद्योगिक क्षेत्र' भी कहा जाता है। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं दीर्घ तीनों स्तर के उद्योग सम्मिलित होते हैं। सूक्ष्म एवं लघु स्तर में जहाँ कपड़े, मोमबत्ती, चमड़ा, हैंडलूम आते हैं, वहीं दीर्घस्तर में स्टील, भारी मशीनरी, रसायन, फर्टिलाइजर, जहाज आदि जैसे उद्योग शामिल होते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

उद्योग (Industry)

उद्योगों के विकास से पर्याप्त रोज़गार, आय सृजन एवं जीवन स्तर में सुधार की अपार संभावनाएँ हैं। राजस्थान जैसी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को गति देने में औद्योगिक विकास एक महत्त्वपूर्ण घटक है। राजस्थान की निवेशक अनुकूल नीतियाँ, शांतिपूर्ण वातावरण, मेहमान-नवाजी, वृहद् प्राकृतिक संसाधन, जिनका दोहन नहीं हुआ है, विश्वस्तर की चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाओं ने इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिये पसंदीदा गंतव्य बना दिया है। राजस्थान में औद्योगिक विकास को पुनर्जीवित करने एवं निवेश को आकर्षित करने के लिये राजस्थान सरकार ने संस्थागत तंत्र बनाया है।

औद्योगीकरण देश के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण तरीकों में से एक माना जाता है। इसलिये 24 जून, 1978 को राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी तथा राजस्थान को ईको सिस्टम के साथ भारत में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारने हेतु समावेशी, संतुलित, सतत् एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करने, आधारभूत ढाँचा सृजित करने, रोज़गार के अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019 तैयारी की गई है, जिसे 1 जुलाई, 2019 से लागू किया गया है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने तथा लघु, मध्यम एवं वृहद् उद्योगों के विस्तार तथा उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य के विभिन्न विभाग/निगम/एजेंसियाँ अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु कार्यरत हैं।

उद्योग क्षेत्र जिसमें खनन, विनिर्माण, विद्युत गैस, जलापूर्ति एवं उपयोगी सेवाएँ तथा निर्माण क्षेत्र सम्मिलित हैं, का सकल राज्य मूल्यवर्द्धन में वर्ष 2011-12 में योगदान 32.69 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2020-21 में 28.15 प्रतिशत होने की संभावना है। वर्ष 2020-21 में इस क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्द्धन ₹ 1,69,028 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो गत वर्ष से 7.50 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

स्थिर मूल्य (2011-12) पर सकल राज्य मूल्यवर्द्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान *[Contribution of Industry Sector in Gross State Value Addition at Fix Price (2011-12)]*

स्थिर मूल्य (2011-12) पर सकल राज्य मूल्यवर्द्धन में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी		
वर्ष/क्षेत्र	**उद्योग**	**सकल राज्य मूल्यवर्द्धन**
2017–18	191895.58	586794.61
	(32.70)	(100)
2018–19	179842.22	609756.97
	(29.49)	(100)
2019–20	182737.41	639639.95
	(28.57)	(100)
2020–21 (अनुमानित)	169028.25	600527.06
	(28.15)	(100)

तालिका में कोष्ठक में स्थिर (2011-12) बुनियादी कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्द्धन का प्रतिशत योगदान दर्शाया गया है।
राज्य के लिये वर्ष 2018-19 संशोधित अनुमान-II, वर्ष 2019-20 संशोधित अनुमान-I और वर्ष 2020-21 अग्रिम अनुमान।

उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर स्थिर (2011-12) कीमतों पर	
क्षेत्र/वर्ष	**उद्योग**
2016-17	6.09
2017-18	2.74
2018–19	–6.28
2019–20	1.61
2020–21 (अनुमानित)	–7.50

वर्ष 2018-19 संशोधित अनुमान-II, वर्ष 2019-20 संशोधित अनुमान-I और वर्ष 2020-21 अग्रिम अनुमान (अनुमानित)

उद्योग क्षेत्र, जिसमें खनन, विनिर्माण, विद्युत गैस तथा जलापूर्ति एवं उपयोगी सेवाएँ तथा निर्माण क्षेत्र सम्मिलित हैं, का सकल राज्य मूल्यवर्द्धन में योगदान वर्ष 2011-12 में 32.69 प्रतिशत था, जो वर्ष 2020-21 में घटकर 24.80 प्रतिशत अनुमानित है।

5

राजस्थान : सेवा क्षेत्र
(Rajasthan : Service Sector)

सेवा क्षेत्र (Service Sector)

किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रकृति के आधार पर उत्पादन क्रियाओं को तीन क्षेत्रों में बाँटा जाता है-(क) प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector), (ख) द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector) और (ग) तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector)।

वस्तुत: नैसर्गिक संसाधनों (Natural Resources) के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए उन्हें प्राथमिक वस्तुएँ (Primary Goods) कहते हैं तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना (Institutional Structure) को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। वहीं प्राथमिक वस्तुओं में मूल्यवर्द्धन द्वारा जिन नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उन्हें द्वितीयक वस्तुएँ (Secondary Goods) कहते हैं तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector) कहते हैं।

अगर तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) की बात की जाए तो अदृश्य सेवाओं (Invisible Services) को तृतीयक वस्तुएँ (Tertiary Goods) कहते हैं तथा सेवाओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) कहते हैं अर्थात् तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं।

दूसरे शब्दों में, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है, जिसमें उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। सेवा क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे- व्यापार, होटल एवं रेस्त्राँ, भंडारण, परिवहन, संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, व्यापारिक सेवाएँ, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएँ तथा निर्माण कार्यों से संबद्ध सेवाएँ इत्यादि।

उल्लेखीय है कि वैश्विक स्तर के साथ-साथ विभिन्न राज्यों की अर्थव्यवस्था के विकास प्रवृत्ति का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि जो देश/राज्य विकास पथ पर अग्रसर होते हैं, उन देशों की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है।

राजस्थान में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन
(Service Sector Performance in Rajasthan)

सेवा क्षेत्र का स्थिर (2011-12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्द्धन (जी.एस.वी.ए.) वर्ष 2011-12 में ₹1.62 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2020-21 में ₹2.55 लाख करोड़ अनुमानित है, जो इस अवधि में प्रतिवर्ष 5.18 प्रतिशत (सी. ए.जी.आर.) की औसत वृद्धि दर्शाता है। प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्द्धन (जी.एस. ची.ए.) वर्ष 2011-12 में ₹1.62 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2020-21 में ₹4.09 लाख करोड़ अनुमानित है, जो इस अवधि में प्रतिवर्ष 10.86 प्रतिशत (सी.ए.जी.आर.) की औसत वृद्धि दर्शाता है।

राजस्थान के सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्द्धन (Gross State Value Added of Service Sector of Rajasthan)

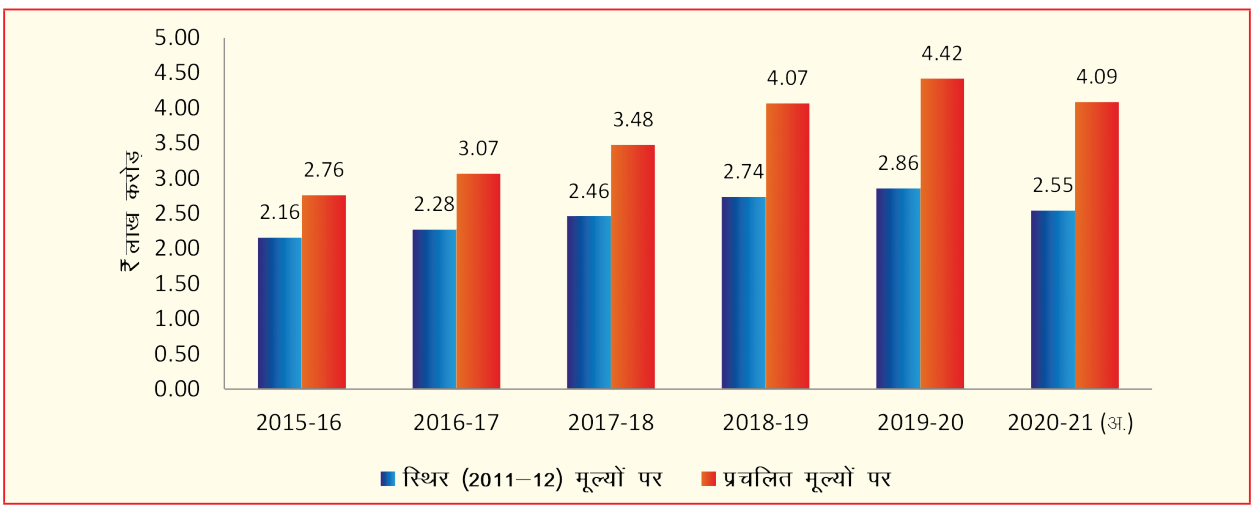

नोट: वर्ष 2018-19 संशोधित अनुमान-II, वर्ष 2019-20 संशोधित अनुमान-I और वर्ष 2020-21 अग्रिम अनुमान

6 राजस्थान : आधारभूत संरचना एवं संसाधन
(Rajasthan : Basic Infrastructure and Resources)

आधारभूत संरचना (Basic Infrastructure)

बुनियादी ढाँचे के विकास को सामान्यत: आर्थिक सुदृढ़ता का सूचक माना जाता है। परिवहन सुविधाओं (विशेष रूप से सड़क और रेलवे), संचार सेवाओं (पोस्ट और दूरसंचार) और ऊर्जा क्षेत्र अर्थव्यवस्था की नींव के प्रमुख स्तंभों में से एक है। इसके महत्त्व को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष रूप से विकास को गति देने में एवं परोक्ष रूप से गरीबी उन्मूलन में राजस्थान सरकार ने राज्य में बुनियादी ढाँचे के विकास में एक सक्रिय भूमिका निभाई है। बुनियादी ढाँचे में किये गए प्रमुख विकास कार्य निम्नानुसार हैं–

ऊर्जा *(Power)*

- ऊर्जा सही रूप में अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाती है। यह क्षेत्र सभी क्षेत्रों- कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों को संभव बनाता है।
- इसके अलावा, यह लाखों घरों को रोशन करता है और जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- राजस्थान का बिजली नेटवर्क देश की प्रमुख प्रणालियों में से एक है, जो विभिन्न उपभोक्ताओं की मांगों की पूर्ति करता है।

ऊर्जा उत्पादन

राज्य में ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत कोटा, सूरतगढ़ व छबड़ा तापीय संयंत्र, धौलपुर गैस तापीय संयंत्र, माही पन बिजली परियोजनाएँ, पवन ऊर्जा, बायोमॉस, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, भाखड़ा, व्यास, चंबल, सतपुड़ा अंतर्राज्यीय भागीदारी परियोजनाएँ और राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सिंगरौली, रिहंद, दादरी, अंता, ओरैया, दादरी गैस संयंत्र, ऊँचाहार तापीय और टनकपुर, सलाल, चमेरा व उरी जल विद्युत केंद्रीय परियोजनाएँ हैं।

अधिष्ठापित क्षमता

- राज्य में मार्च 2020 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता 21,176 मेगावाट थी।
- अधिष्ठापित क्षमता में वर्ष 2020-21 में दिसंबर 2020 तक 660 मेगावाट की वृद्धि हुई।
- इस प्रकार दिसंबर 2020 तक अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर 21,836 मेगावाट हो गई है।

वर्षवार ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता — मेगावाट

क्र.सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*
1. राज्य की स्वयं/भागीदारी की परियोजनाएँ						
(अ)	तापीय	5190.00	5190.00	5850.00	6510.00	7170.00
(ब)	जल विद्युत	1017.29	1017.29	1017.29	1017.29	1017.29
(स)	गैस	603.50	603.50	603.50	603.50	603.50
	योग (1)	6810.79	6810.79	7470.79	8130.79	8790.79
2. केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटन						
(अ)	तापीय	1394.41	1793.50	1793.50	1870.46	1870.46
(ब)	जल विद्युत	738.79	738.79	740.66	740.66	740.66
(स)	गैस	221.10	221.10	221.10	221.10	221.10
(द)	परमाणु	456.74	456.74	456.74	456.74	456.74
	योग (2)	2811.04	3210.13	3212.00	3288.96	3288.96
3. आरआरईसी, आरएसएमएमएल एवं निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा/बायोमास/सौर ऊर्जा परियोजनाएँ						
(अ)	पवन	4123.70	4137.20	4139.20	3734.10	3734.10
(ब)	बायोमास	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95
	सौर ऊर्जा	1193.70	1656.70	2411.70	2178.10	2178.10
	तापीय/जल विद्युत	3636.00	3636.00	3742.00	3742.00	3742.00
	योग (3)	9055.35	9531.85	10394.85	9756.15	9756.15
	सकल योग (1 + 2 + 3)	18677.18	19552.77	21077.64	21175.90	21835.90

*दिसंबर, 2020 तक

7 राजस्थान : विकास के विविध आयाम
(Rajasthan : Various Dimensions of Development)

विकास एक बहुआयामी अवधारणा है। इसका संबंध आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, मानवीय समेत सभी क्षेत्रों से होता है। विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दे एवं विषय भी विविध एवं बहुआयामी होते हैं। इसमें आर्थिक विकास के संबंध में कृषिगत, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। वहीं सामाजिक विकास के संबंध में निर्धनता, बेरोज़गारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय महत्त्वपूर्ण हैं। क्षेत्रीय विकास सभी क्षेत्रों तथा स्तरों पर समान विकास की अपेक्षा से संबंधित होता है। मानव विकास व्यापक रूप में मानव जीवन के सभी बुनियादी विषयों से जुड़ाव रखता है।

राजस्थान में निर्धनता (Poverty in Rajasthan)

गरीबी एक ऐसी स्थिति है, जिसमें किसी व्यक्ति अथवा समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिये वित्तीय संसाधन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है।

राजस्थान भारत का 7वाँ सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जहाँ 69 मिलियन लोग निवास करते है। जिसमें से 10 मिलियन लोग गरीब है। वर्ष 2005 के बाद से गरीबी को कम करने के उल्लेखनीय प्रगति किया है। इस अवधि में उपभोग असमानता में केवल मामूली रूप से वृद्धि हुई है। परिणामत: राज्य भारत के कम आय वाले राज्यों के श्रेणी से बाहर निकला है, हालाँकि राज्य के अंदर कुछ क्षेत्रों को अभी तक प्रगति का लाभ नहीं मिला है और विकास अस्थिर है।

	तेंदुलकर विधि			रंगराजन		
	(2011-12) (प्रतिशत)			(2011-12) (प्रतिशत)		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
राजस्थान	14.7	16.1	10.7	21.7	21.4	22.5
भारत	21.9	25.7	13.7	29.5	30.9	26.4

राजस्थान में गरीबी के कारण

आर्थिक कारण
- कृषि पर निर्भरता
- भौगोलिक परिस्थितियाँ
- निम्न प्रति व्यक्ति आय
- बड़े उद्योगों की कमी
- बेरोज़गारी
- प्राकृतिक आपदाएँ
- कुशल श्रमिक का अभाव

सामाजिक कारण
- अशिक्षा
- जनसंख्या वृद्धि
- महिलाओं की सहभागिता में कमी
- रूढ़िवाद
- जनजातीय समाज
- सामाजिक सेवाओं की अपर्याप्तता

राजनीतिक कारण
- नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन में कमी
- भूमि-सुधारों के क्रियान्वयन का अभाव

गरीबी निवारण के लिये केंद्र व राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएँ *(Main Plans of Centre & State Government For Poverty Removal)*

राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना (RRLP)

इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के 18 लक्षित ज़िलों के 51 खंडों में गरीब ग्रामीणों, उपेक्षित समूह व महिलाओं का सशक्तीकरण एवं उनके संसाधनों को बढ़ाना है।

पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उपशमन परियोजना (MPOWER)

राजस्थान सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष एवं सर रतन टाटा ट्रस्ट की सहायता से पश्चिमी राजस्थान गरीबी उपशमन परियोजना पश्चिमी राजस्थान के छह खंडों क्रमश: जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जालौर, प्रत्येक में से एक खंड में परियोजना स्वीकृत की गई है तथा दो नए ब्लॉक सिरोही ज़िले में पिंडवाड़ा व जोधपुर ज़िले में बालेसर को भी वर्ष 2016-17 से इस योजनांतर्गत जीवन स्तर के संवर्द्धन हेतु चयनित किया गया है। इस परियोजना का दूरगामी उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान के चयनित खंडों, जो कि सबसे गरीब हैं, में गरीबों की आय में वृद्धि करके गरीबी को कम करना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS)

ग्रामीण लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने एवं समावेशी विकास बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना पूरे राज्य में संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिये ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोज़गार उपलब्ध कराना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं।

राजस्थान में बेरोज़गारी (Unemployment in Rajasthan)

बेरोज़गारी उस स्थिति को कहा जाता है जब काम चाहने वाले सक्षम व्यक्तियों की पूर्ति उनकी मांग की अपेक्षा अधिक होती है अर्थात् जब व्यक्ति किसी तरह का उत्पादक कार्य नहीं करता है। राजस्थान में बेरोज़गारी एक जटिल समस्या है और यह समस्या दिनोदिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। राज्य में औद्योगिक विकास की धीमी गति, बढ़ती जनसंख्या तथा कृषिगत विकास के उतार-चढ़ाव आदि बेरोज़गारी को प्रभावित करते हैं। बेरोज़गारी की समस्या तभी उत्पन्न होती है जब बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप रोज़गार के साधनों में वृद्धि न हो पाए।

राजस्थान में बेरोज़गारी के कारण *(Causes of Unemployment in Rajasthan)*

- पूंजी गहन तकनीक को अपनाना।
- श्रम गहन तकनीक की उपेक्षा।

8 राजस्थान : प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम
Rajasthan : Major Schemes and Programme

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित योजनाएँ (Schemes Related to Agriculture and Allied Sector)

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना

उद्देश्य

राज्य सरकार बजट 2021-22 में 'कृषक कल्याण कोष' के माध्यम से आगामी तीन वर्षों हेतु अनुदान आधारित 'मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना' की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु

इस योजना के अंतर्गत –

- 3 लाख कृषकों को नि:शुल्क जैव उर्वरक एवं जैव एजेंट दिये जाएंगे।
- एक लाख कृषकों के लिये कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी।
- तीन लाख कृषकों को सूक्ष्म पोषक तत्त्व किट ('micro nutrients kit') उपलब्ध कराये जाएंगे।
- 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज वितरित किये जाएंगे।
- 30 हजार कृषकों के लिये डिग्गी व फार्म पॉण्ड बनाये जाएंगे।
- 1 लाख 20 हजार किसानों को स्प्रिंकलर व मिनी स्प्रिंकलर दिये जाएंगे।
- 120 कृषक उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organization) (FPO) का गठन एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएंगा, जिसके अंतर्गत उत्पादों की सफाई (cleaning), पिसाई (grinding) एवं प्रसंस्करण (processing) इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, ताकि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

कृषक कल्याण कोष

प्रमुख बिंदु

- किसानों को व्यापार व खेती करने में आसानी के लिये प्रमुख पहल करते हुए ₹ 1,000 करोड़ की राशि से दिनांक 16 दिसंबर, 2019 को 'कृषक कल्याण कोष' का गठन किया गया है। इस कोष के लिये बैंकों से कुल ₹2,000 करोड़ का ऋण लिया गया है।
- इस राशि का उपयोग कृषि उपज के उचित मूल्यों के लिये और सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ किसान कल्याण से जुड़ी किसी भी अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये किया जाएगा।

मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना

उद्देश्य

कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ाना है।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2017 में इस योजना की शुरुआत की गई थी।
- प्रारंभ में इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के तीन कृषि जलवायुविक खंडों यथा–कोटा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर में किया गया।
- वर्ष 2018-19 से यह योजना राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायुविक खंडों में क्रियान्वित की जा रही है।
- इस योजनांतर्गत गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली एवं उड़द की 10 वर्ष तक की पुरानी किस्मों के उत्पादन को शामिल किया गया है।
- बीज उत्पादन हेतु प्रशिक्षण व रोगिंग का भी प्रावधान है। प्रशिक्षण के तहत प्रति कृषक को ₹30/- दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार बीज उत्पादन प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी देने के लिये तीन प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जाता है।

कृषि प्रदर्शन

उद्देश्य

'देखकर विश्वास करने' के कृषि के सिद्धांत पर कृषि तकनीक को प्रसारित करने हेतु कृषकों के खेतों पर फसल प्रदर्शन आयोजित करना है।

प्रमुख बिंदु

- नई उन्नत एवं नवोन्मेषी कृषि तकनीक का हस्तांतरण करने के लिये फसल प्रदर्शन का आयोजन कृषि विस्तार का एक महत्त्वपूर्ण साधन है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) से वंचित ज़िलों में राज्य की विशिष्ट फसलें– ग्वार, गेहूँ एवं जौ पर फसल प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं।

कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि

उद्देश्य

लड़कियों को औपचारिक रूप से कृषि का अध्ययन करने के लिये प्रोत्साहित करना।

9 राजस्थान : बजट 2021–22
(Rajasthan : Budget 2021 – 22)

योजनाओं के उद्व्यय 2021-22 के मुख्य बिंदु (Highlights of Schemes/Projects Outlay 2021-22)

आय–व्ययक अनुमान 2021-22 में योजना उद्व्यय अंतर्गत ₹1,32,251.35 करोड़ प्रस्तावित है। योजनाओं के उद्व्ययों का मुख्य क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है–

प्रमुख उद्व्यय			
क्र.सं.	क्षेत्र	प्रस्तावित परिव्यय (राशि ₹करोड़ में)	कुल का प्रतिशत
1.	कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ	9818.74	7.42
2.	ग्रामीण विकास	15935.19	12.05
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	65.42	0.05
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4002.65	3.03
5.	विद्युत	18943.23	14.32
6.	उद्योग एवं खनिज	1196.15	0.91
7.	यातायात	7941.39	6.01
8.	वैज्ञानिक सेवाएँ	17.59	0.01
9.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ	69026.26	52.19
10.	आर्थिक सेवाएँ	1869.71	1.41
11.	सामान्य सेवाएँ	3435.02	2.60
योग		**132251.35**	**100.00**

क्षेत्रवार मुख्य विशेषताएँ

कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ

- कृषि विभाग के लिये ₹2,743.10 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं–
  - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिये ₹1,500.00 करोड़।
  - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु ₹350.00 करोड़।
  - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिये ₹380.81 करोड़।
  - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिये ₹66.67 करोड़।
  - राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के लिये ₹120.80 करोड़।
  - परंपरागत कृषि विकास योजना के लिये ₹41.67 करोड़।
  - राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन के लिये ₹37.39 करोड़।
- उद्यानिकी विभाग के लिये ₹571.40 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं–
  - प्रधानमंत्री कुसुम योजना (घटक-ब) हेतु ₹200.00 करोड़।
  - सूक्ष्म सिंचाई योजना हेतु ₹133.33 करोड़।
  - राष्ट्रीय बागबानी मिशन हेतु ₹107.60 करोड़।
  - सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता के लिये ₹100.00 करोड़।
- पाँच कृषि विश्वविद्यालयों हेतु ₹346.70 करोड़ का प्रावधान।
- कृषि विपणन के लिये ₹730.29 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं–
  - राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की विकास योजनाओं के लिये ₹186.25 करोड़ का प्रावधान।
  - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिये ₹115.79 करोड़ का प्रावधान।
  - किसान कल्याण निधि के लिये ₹400.00 करोड़।
- पशुपालन के लिये ₹429.56 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं:
  - पशु अस्पताल और औषधालय के लिये ₹246.94 करोड़।
  - मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना के लिये ₹41.14 करोड़।
  - पशुधन नस्ल सुधार योजना के लिये ₹20.00 करोड़।
  - पशु पोलीक्लिनिक, पशु चिकित्सालय व औषधालयों के निर्माण कार्यों के लिये ₹90.00 करोड़।
  - पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर हेतु ₹91.00 करोड़।
- गोपालन विभाग के लिये ₹839.40 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं–
  - गौशालाओं हेतु ₹622.00 करोड़ का अनुदान।
  - मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के लिये ₹200.00 करोड़।
- मत्स्य विभाग के लिये ₹3.48 करोड़ का प्रावधान।
- वानिकी क्षेत्र के लिये ₹411.01 करोड़ का प्रावधान, जिसमें जलवायु परिवर्तन एवं मरुस्थल विस्तार की रोकथाम योजना के लिये ₹65.08 करोड़ का प्रावधान सम्मिलित है।
- सहकारिता के लिये ₹3,625.54 करोड़ का प्रावधान, जिसमें सम्मिलित हैं–
  - कृषि ऋण माफी योजना हेतु ₹3,200.00 करोड़।
  - सहकारी साख संस्थाओं को ब्याज हेतु अनुदान के लिये ₹373.00 करोड़।
- जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण के लिये ₹27.25 करोड़ का प्रावधान।
- **महत्त्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य–**
  - खाद्यान्न अंतर्गत क्षेत्रफल – 156.93 लाख हेक्टेयर
  - खाद्य फसलों का उत्पादन – 250.81 लाख मीट्रिक टन
  - तिलहन अंतर्गत क्षेत्रफल– 53.30 लाख हेक्टेयर
  - तिलहन का उत्पादन– 78.09 लाख मीट्रिक टन

10 भारतीय अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन
(Indian Economy : An Overview)

अर्थशास्त्र (Economics)

अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए कि उनसे व्यष्टि से लेकर समष्टि स्तर पर अधिकाधिक संतुष्टि प्राप्त की जा सके। अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से इस प्रकार से संबंधित है कि व्यष्टि स्तर पर व्यक्ति अपने आर्थिक लाभों को अधिकतम कर सके तथा समष्टि स्तर पर कोई देश अपने सकल घरेलू उत्पाद को अधिकतम एवं समाज कल्याण को सुनिश्चित कर सके।

एक व्यक्ति के स्तर (व्यष्टि स्तर) पर तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्र के स्तर (समष्टि स्तर) पर संसाधन सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं एवं इन्हीं सीमित संसाधनों के साथ मनुष्यों द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। संसाधन केवल दुर्लभ ही नहीं होते बल्कि इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं, इसलिये संसाधनों को प्रबंधित किया जाना आवश्यक होता है। जैसे- व्यष्टि स्तर पर एक किसान अपनी भूमि पर गेहूँ, चावल, मक्का, दालें या गन्ना उत्पादित कर सकता है। इसी प्रकार समष्टि स्तर पर एक देश की सरकार देश के संसाधनों का रक्षा सामग्रियों के क्रय करने, अवसंरचनात्मक ढाँचे का विकास करने, गरीबों एवं वंचित वर्गों के लिये लोक-कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को चलाने इत्यादि में उपयोग कर सकती है। अर्थशास्त्र व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर सीमित संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन अथवा कुशलतम उपयोग से संबंधित होता है।

अर्थशास्त्र वह विषय है, जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है, जो उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोज़गार के अवसर, जीवन की गुणवत्ता आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, अर्थात् "अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, जो उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है।"

सामान्य शब्दों में, "अर्थशास्त्र वह विषय है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है।" प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशंस' (The Wealth of Nations) में अर्थशास्त्र को 'धन का विज्ञान' कहा है।

अर्थशास्त्र का वर्गीकरण *(Classification of Economics)*

अर्थशास्त्र का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधारों पर किया जा सकता है-

1. व्यष्टि अर्थशास्त्र (Microeconomics)

व्यष्टि अर्थशास्त्र को 'सूक्ष्म अर्थशास्त्र' भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे-छोटे पहलुओं अर्थात् व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे- एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म अथवा एक उद्योग, एक बाज़ार इत्यादि। अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी किसी व्यक्ति, फर्म, घरेलू कार्य की नीति निर्धारण, यथा- उत्पादन, उपभोग, मूल्य निर्धारण इत्यादि में सहायक होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आंशिक संतुलन से अधिक प्रभावित है, जो आर्थिक क्रिया से संबंधित महत्त्वपूर्ण कारकों से प्रभावित होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं, जैसे- मांग और पूर्ति का अध्ययन, मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन होता है।

व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्त्वपूर्ण घटक

- **उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत:** इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है, ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके।
- **उत्पादक व्यवहार सिद्धांत:** इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है तथा कितना उत्पादन करना है जिससे उसका लाभ अधिकतम हो सके।
- **कीमत सिद्धांत:** 'कीमत सिद्धांत' व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्त्वपूर्ण घटक है। कीमत सिद्धांत में यह अध्ययन किया जाता है कि बाज़ार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है।

2. समष्टि अर्थशास्त्र (Macroeconomics)

समष्टि अर्थशास्त्र को 'वृहद् अर्थशास्त्र' भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं अर्थात् संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जैसे- राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, आर्थिक संवृद्धि, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोज़गारी इत्यादि। समष्टि अर्थशास्त्र सभी आर्थिक इकाइयों का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण करता है, जिससे आर्थिक प्रणाली का विश्लेषण एवं बड़े पैमाने पर आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। समष्टि अर्थशास्त्र आय, रोज़गार और संवृद्धि संबंधी नीतियों के व्यापक स्तर से संबंधित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय निर्धारण पर केंद्रित रहता है।

11

राष्ट्रीय आय
(National Income)

सामान्य परिचय (General Introduction)

राष्ट्रीय आय एवं सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आँकड़े किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जानने के लिये महत्त्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की माप है। राष्ट्रीय आय के बारे में जानकारी से देश की अर्थव्यवस्था के आकार एवं स्वरूप के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है।

राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएँ
(Various Concepts Related to National Income)

बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद
(Gross Domestic Product at Market Price–GDPMP)

किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में सभी निवासी और गैर-निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा बाज़ार मूल्य पर व्यक्त मूल्यवर्द्धनों का योग या संपूर्ण अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाज़ार मूल्य ही बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है।

- भारत में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है।
- यहाँ देश की घरेलू अर्थात् आर्थिक सीमा के अंतर्गत देश की भौगोलिक, राजनीतिक तथा सामुद्रिक सीमा, वायुमंडल, सीमांतर्गत जलक्षेत्र एवं शेष विश्व में सीमांतर्गत विदेशी अंत:क्षेत्र, जैसे-दूतावास, सैनिक अड्डे आदि शामिल होते हैं।
- केवल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं किया जाता। उदाहरण के लिये, एक किसान द्वारा ₹1000 का कपास उत्पादित किया गया। इसे एक धागा बनाने वाली कंपनी द्वारा क्रय करके इसका धागा बनाया जाता है एवं इसके धागे को ₹2000 में बेच दिया जाता है। कपड़ा बनाने वाली कंपनी द्वारा इसे क्रय करके इसका कपड़ा बनाकर ₹3000 में बेच दिया जाता है, एवं अंत में एक रेडीमेट शर्ट निर्माता कंपनी कपड़े को क्रय करके शर्ट बनाकर ₹4000 में बेच देती है, तो राष्ट्रीय आय के आकलन में केवल ₹4000 को शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तुओं का मूल्य लेने से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य एवं दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सकता है।

संभाव्य जीडीपी (Potential GDP)

संभाव्य जीडीपी से आशय किसी देश के उत्पादन के कारकों के पूरी तरह से नियोजित होने पर उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक मूल्य से है। यह किसी देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति की अपेक्षा भविष्य में संभाव्य जीडीपी उत्पादन के उच्चतम स्तर का अनुमान लगाने का प्रयास करता है जो एक अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है।

संभाव्य जीडीपी के निर्धारक कारक

- अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी का पूर्ण उपयोग
- देश के मानव संसाधन का समुचित उपयोग
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में श्रम का इष्टतम वितरण
- श्रम की उपलब्धता और कौशल क्षमता
- उत्पादन से जुड़े विभिन्न कारकों की उच्च क्षमता
- तकनीक के क्षेत्र में प्रगति
- प्रतिस्पर्धी बाज़ार अर्थव्यवस्था
- राजनीतिक स्थिरता

बाज़ार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद
(Gross National Product at Market Price– GNP_{MP})

बाज़ार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान केवल निवासी उत्पादक इकाइयों अर्थात् देश के निवासियों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर बाज़ार कीमत पर व्यक्त मूल्य वर्द्धन का योग है या सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का बाज़ार मूल्य ही बाज़ार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है।

GDP_{MP} तथा GNP_{MP} में अंतर

- एक देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत निवासियों तथा गैर-निवासियों द्वारा अर्जित आय या किये गए कुल उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद (GDP_{MP}) तथा एक देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर केवल निवासियों द्वारा अर्जित आय या किये गए कुल उत्पादन को सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP_{MP}) कहते हैं।
- $GNP_{MP} = GDP_{MP}$ + विदेशों से प्राप्त निवल आय
- विदेशों से प्राप्त निवल आय = देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय – गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय

बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद
(Net Domestic Product at Market Price–NDP_{MP})

जब किसी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधनों के मूल्यों में कमी होती है जिसे मूल्य ह्रास कहा जाता है। जब हम बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, तो बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है।

बाज़ार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP_{MP}) = बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP_{MP}) – मूल्य ह्रास

12 भारत में आर्थिक नियोजन (Economic Planning in India)

आर्थिक नियोजन (Economic Planning)

आर्थिक नियोजन का अर्थ है- स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। आर्थिक नियोजन एक संगठित आर्थिक प्रयास है, जिसमें राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। भारत में नियोजन को 'समवर्ती सूची' (सातवीं अनुसूची) का विषय बनाया गया है।

नियोजन के उद्देश्य *(Objectives of Planning)*

- संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करना;
- संसाधनों का तार्किक वितरण सुनिश्चित करना;
- निर्धनता एवं बेरोज़गारी को दूर करना;
- आधारभूत ढाँचे का विकास करना;
- कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना;
- सामाजिक न्याय व विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना;
- राजनीतिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना;
- आत्मनिर्भरता एवं आधुनिकीकरण;
- निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना;
- तीव्र आर्थिक विकास के साथ-साथ समावेशी विकास पर बल।

नियोजन के प्रकार *(Types of Planning)*

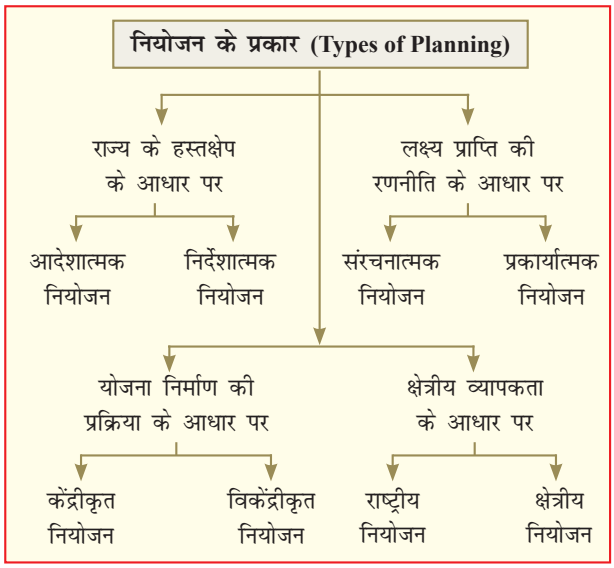

राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर (On the Basis of State Intervention)

आदेशात्मक नियोजन (Imperative Planning)

आदेशात्मक नियोजन एक केंद्रीकृत व्यवस्था है, जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है, जो योजनाओं के निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। इस मॉडल में निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है, इसलिये इसे 'केंद्रीकृत नियोजन' भी कहा जाता है।

निर्देशात्मक नियोजन (Indicative Planning)

निर्देशात्मक नियोजन एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, जिसमें राज्य एवं सरकारी संस्थाओं का सांकेतिक एवं परोक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें सरकार केवल नीतियाँ बनाने का कार्य करती है तथा इसका क्रियान्वयन निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है।

लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति के आधार पर (On the Basis of Strategies for Achieving Targets)

संरचनात्मक नियोजन (Structural Planning)

यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिये संसाधनों के वर्तमान स्वामित्व के ढाँचे, उत्पादन की विधि एवं संस्थागत व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए तो यह 'संरचनात्मक नियोजन' कहलाता है, जैसे- भूमि सुधार, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था की बुनियादी क्षमता बढ़ाई जा सकती है।

प्रकार्यात्मक नियोजन (Functional Planning)

यदि आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति के लिये संसाधन, स्वामित्व के ढाँचे, उत्पादन की विधि अथवा संस्थागत व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन लाने की बजाय उसके अनुकूलतम दोहन की रणनीति अपनाई जाए तो यह 'प्रकार्यात्मक नियोजन' कहलाता है, जैसे- हरित क्रांति के द्वारा कृषि क्षेत्र में यह विधि अपनाई गई।

योजना निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर (Based on the Process of Planning)

केंद्रीकृत नियोजन (Centralised Planning)

केंद्रीकृत नियोजन में योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य राज्य अथवा एक शीर्ष केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। इसे 'ऊपर से नीचे की ओर नियोजन' भी कहते हैं।

विकेंद्रीकृत नियोजन (Decentralised Planning)

विकेंद्रीकृत नियोजन में योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र एवं आम नागरिक सभी की सहभागिता होती है। इसे 'नीचे से ऊपर की ओर नियोजन' भी कहते हैं। इसके द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मज़बूती मिलती है।

13 समावेशी विकास, गरीबी, बेरोज़गारी एवं खाद्य सुरक्षा
(Inclusive Development, Poverty, Unemployment & Food Security)

प्रत्येक व्यक्ति समाज में समतापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करता है। भारतीय समाज में कई ऐसे वर्ग हैं, जो समाज की मुख्यधारा से बहिष्कृत हैं, जैसे- दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, विकलांग, घुमंतू जातियाँ, महिलाएँ, गरीब, किन्नर एवं शरणार्थी। इन समूहों को समाज की मुख्यधारा में लाना ही सामाजिक समावेशन कहलाता है जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति विकास की पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

समावेशी विकास एवं सामाजिक समावेशन एक-दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े हैं। जहाँ समावेशी विकास अंतिम व्यक्ति तक विकास के वितरण को सुनिश्चित करने से संबंधित है, वहीं सामाजिक समावेशन समाज के अंतिम व्यक्ति को भी वही महत्त्व दिये जाने की वकालत करता है, जो प्रथम व्यक्ति को प्राप्त है। समावेशी विकास में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक समावेशन समावेशी विकास का प्रमुख आधार है। समाज में सामाजिक अपवंचन से मुक्ति समावेशी विकास एवं सामाजिक समावेशन के द्वारा ही संभव है।

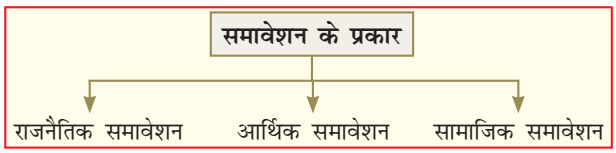

समावेशी विकास (Inclusive Develoment)

समावेशी विकास का आशय आर्थिक विकास की एक ऐसी अवधारणा से है, जिसमें विकास का लाभ समाज के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो, कोई भी वर्ग विकास से वंचित न रह जाए अर्थात् समान अवसरों के साथ-साथ विकास करना ही समावेशी विकास है।

भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास का व्यापक रूप से उपयोग किया। विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाने हेतु क्षेत्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को दूर करने हेतु प्रभावी तथा संपोषणीय नीतियाँ एवं कार्यक्रम बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसीलिये बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) की अवधारणा का केंद्र बिंदु तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास रखा गया।

योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य मानव विकास तथा व्यक्तियों द्वारा जीवन यापन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना होता है। गरीब एवं हाशिये पर रह रहे लोगों के विकास पर बल, बेहतर रहन-सहन का वातावरण तथा अवसरों का अधिकतम समान वितरण करने की आवश्यकता आदि है। महिलाओं को केंद्र में रखकर उनके सशक्तीकरण पर बल देते हुए उनकी शिक्षा एवं रोज़गार की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

जनसंख्या का बड़ा हिस्सा विशेषकर, भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत कृषक, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, घुमंतू जातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सामाजिक और वित्तीय समस्याओं तथा अपवर्जन से जूझ रहे हैं। ऐसे वर्ग के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये सरकार अपनी नीतियों में विशेष उपबंध की व्यवस्था करती है। समावेशी विकास में आर्थिक विकास की ऊँची वृद्धि दर से प्राप्त लाभ के समान वितरण को शामिल किया जाता है।

समावेशी विकास स्थापित करने के महत्त्वपूर्ण घटक *(Important Components to Establish Inclusive Development)*

- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी सामान्य एवं कमज़ोर वर्ग के बेरोज़गारों के लिये विशेष उपबंध करना। रोज़गार में वृद्धि को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना।
- आधारभूत आवश्यक वस्तुओं तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करना।
- कृषि तथा ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना, ताकि इस क्षेत्र में निवेश तथा आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं आवास पर अधिक सार्वजनिक व्यय हो।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों तथा कमज़ोर वर्गों, निर्धनों, महिलाओं एवं बच्चों का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण।
- वित्तीय समावेशन की गति को तीव्र करना।

समावेशी संवृद्धि *(Inclusive Growth)*

समावेशी संवृद्धि का अभिप्राय आर्थिक संवृद्धि की एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हों। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में समावेशी संवृद्धि को लेकर एक स्पष्ट रणनीति, सरकार द्वारा पेश की गई। इसके अंतर्गत वंचित समूहों विशेष रूप से अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग एवं महिलाओं को विकास और संवृद्धि की प्रक्रिया में शामिल किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 'तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास' था। इस कारण समावेशी संवृद्धि विषय को इस योजना में और अधिक महत्त्व मिला।

सरकार द्वारा समय-समय पर समावेशी संवृद्धि के लिये अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक नीतियाँ बनाई गईं। अल्पकालिक नीतियों में सरकार द्वारा खाद्य और पोषाहार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेयजल तथा शिक्षा संबंधी नीतियाँ सम्मिलित की गईं, परंतु इन अल्पकालिक योजनाओं से सरकार पर धन का भारी बोझ पड़ा, जिस कारण लक्षित समूहों के आत्मनिर्भर बनाने का मुख्य लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

14

भारत में कृषि क्षेत्र
(Agriculture Sector in India)

सामान्य परिचय (General Introduction)

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक प्रमुख घटक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि अत्यंत पिछड़ी अवस्था में थी। उस समय कृषि में श्रम और भूमि की उत्पादकता कम थी। किसान परंपरागत कृषि पद्धतियों से कृषि करते थे। कृषि कार्य केवल जीवन निर्वाह हेतु किये जाते थे। उन दिनों बड़े पैमाने पर कृषि का वाणिज्यीकरण भी नहीं हुआ था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान लगभग 50 प्रतिशत था, लेकिन इसके पश्चात् सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की भागीदारी लगातार कम होती जा रही है।

भारत में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आज भारतीय कृषि भारत की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। भारतीय कृषि का महत्त्व इस बात में परिलक्षित होता है कि दुनिया के मात्र 2.4 प्रतिशत क्षेत्र और 4.2 प्रतिशत पानी से हम विश्व की लगभग 17.5 प्रतिशत आबादी का भरण-पोषण करने में कामयाब हैं। आज भारत ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति एवं विशेषकर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कृषि क्षेत्र का विकास अत्यंत आवश्यक है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है एवं यह निजी क्षेत्र में सबसे अधिक रोज़गार के अवसर प्रदान करने वाला अकेला व्यवसाय है।

2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का 54.6 प्रतिशत कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा है। कृषि क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास की वजह से एग्री वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन, सप्लाई चेन, डेयरी, पोल्ट्री, मांस, मछली, बागवानी इत्यादि गतिविधियों में रोज़गार एवं स्वरोज़गार के अवसर बढ़ रहे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्त्व
(Importance of Agriculture in Indian Economy)

अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान

कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान है। वित्तीय वर्ष 1950–51 में यह लगभग 50 प्रतिशत था। भारत के सकल मूल्यवर्द्धन (जीवीए) में इसका योगदान वर्ष 2014-15 के 18.2 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2019-20 में 17.8 प्रतिशत हो गया है, जो कि अर्थव्यवस्था में होने वाली विकास प्रक्रियाओं एवं संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। सकल घरेलू उत्पाद या सकल मूल्य वर्द्धन में कृषि के प्रतिशत योगदान में कमी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व में गिरावट को नहीं दर्शाती है, अपितु यह केवल अर्थव्यवस्था के द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की सापेक्षिक तीव्र वृद्धि को दर्शाती है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत फसलों एवं वानिकी का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 11.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 में 9.4 प्रतिशत रह गया है।

हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान यद्यपि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिये मूल्यवर्द्धन (जीवीए) में 7.2 प्रतिशत की दर से कमी हुई है, तथापि कृषि क्षेत्र के जीवीए में 3.4 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि हुई है।

बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये खाद्यान्नों की आपूर्ति

भारत में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में (चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार) देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 296.65 मिलियन टन रहा जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के 285.21 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन से 11.44 मिलियन टन अधिक था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 के दौरान उत्पादन विगत पाँच वर्षों (2014-15 से 2018-19) के दौरान हुए 269.78 मिलियन टन औसत उत्पादन से 26.87 मिलियन टन अधिक था। अतः वर्तमान में भारत को अपनी विशाल जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है।

औद्योगिक विकास के लिये कृषि क्षेत्र का महत्त्व

कच्चे माल के आपूर्तिकर्त्ता के रूप में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि के लिये मुख्य रूप से महत्त्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र के द्वारा औद्योगिक कच्चे मालों जैसे- कपड़ा उद्योग को कपास, तेल उद्योग को तेल बीजों तथा चीनी उद्योग को गन्ने की आपूर्ति की जाती है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कृषि उत्पादों के रूप में कच्चा माल उपलब्ध कराता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्त्वपूर्ण योगदान

कृषि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। भारत में वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के सूत्रपात के बाद से, भारत कृषि उत्पादों का शुद्ध निर्यातक रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत ने ₹2.52 लाख करोड़ के कृषि उत्पादों का निर्यात किया जबकि ₹1.47 लाख करोड़ के कृषि उत्पादों का आयात किया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत ने जिन देशों को मुख्य रूप से निर्यात किया, उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल तथा बांग्लादेश शामिल हैं। भारत से मुख्य रूप से निर्यात किये गए कृषि तथा संबंधित उत्पादों में समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसालें, गैर-बासमती चावल, कच्चा कपास, खली, चीनी, अरंडी का तेल और चाय शामिल हैं। यद्यपि भारत उपरोक्त वर्णित कृषि-उत्पादों के व्यापार में प्रमुख स्थान रखता है, तथापि वैश्विक कृषि व्यापार में इसके कृषि उत्पादों का हिस्सा 2.5 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। कृषि उत्पादों के कुल निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पादों की हिस्सेदारी पिछले 6 वर्षों के दौरान सबसे अधिक रही

15 भारत में औद्योगिक क्षेत्र
(Industrial Sector in India)

सामान्य परिचय (General Introduction)

भारत में ब्रिटिश काल के दौरान औद्योगिक विकास को गहरा धक्का लगा। इसलिये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नियोजकों ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिये औद्योगीकरण की आवश्यकता को समझा। किसी भी देश का औद्योगिक विकास उसके आर्थिक विकास का मापक होता है, क्योंकि इस पर कृषि क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का विकास निर्भर करता है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास जहाँ एक ओर नए रोज़गार एवं आय सृजन के द्वारा अर्थव्यवस्था में मांग का सृजन करता है, वहीं दूसरी ओर देश के तीव्र तथा आत्मनिर्भर आर्थिक विकास की नींव तैयार करने में मदद करता है।

भारत की सतत् आर्थिक संवृद्धि की रफ्तार बनाए रखने के लिये अवसंरचना की सुगठित सुविधाओं की सहायता से उच्च दर पर औद्योगिक संवृद्धि का महत्त्व बहुत ही निर्णायक है। निर्माण क्षेत्र सहित औद्योगिक क्षेत्र भारत के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान करता है और वर्ष 2020-21 में सकल मूल्य वर्द्धन (GVA) में इसका 25.8 प्रतिशत का योगदान रहा। मज़बूत और सुदृढ़ औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षेत्र घरेलू उत्पादन, निर्यात और रोज़गार के संवर्द्धन में सहायता करता है और ये सभी अर्थव्यवस्था में उच्च विकास के लिये उत्प्रेरक हो सकते हैं। इस तरह किसी भी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के निर्धारण में उद्योग एक निणार्यक भूमिका निभाते हैं।

औद्योगिक क्षेत्र का कार्य-निष्पादन इसलिए महत्त्व रखता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र इसके साथ अंतर्संबंधित हैं। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिये एक सशक्त औद्योगिक क्षेत्र का होना अपरिहार्य शर्त है। सर्वविदित है कि वैश्विक महामारी के बीच वित्त वर्ष 2020-21 (FY21) की शुरुआत हुई। इस महामारी से निपटने के लिये देशों ने अनेक उपाय अपनाए जिनसे अर्थव्यवस्था अचानक रुक गई। कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हालाँकि चरणबद्ध रूप से देश में किया जाने वाला अनलॉक अर्थव्यवस्था के संभलने में सहायक सिद्ध हुआ। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) पर किये गये प्राक्कलन के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में –9.6% की वृद्धि का अनुमान है जिसका वित्तीय वर्ष 2020-21 में समग्र जीवीए में 25.8% का योगदान है। सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान में वर्ष 2011-12 से ही गिरावट दर्ज की जा रही है। जीवीए में औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न घटकों में से विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं का शेयर वित्त वर्ष 2011-12 में 2.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 2.7% हो गया, जबकि अन्य सभी घटकों में गिरावट हुई है।

वर्तमान मूल्य पर जीवीए में उद्योग और उनके घटकों का अंश (प्रतिशत में)

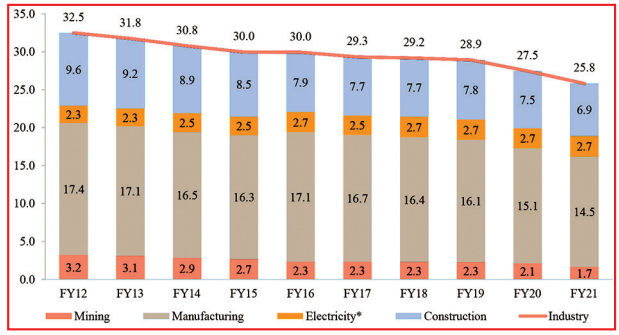

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21

*विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएँ

उद्योग में जी.वी.ए. की वृद्धि दर और उसके घटक (प्रतिशत में)

	FY13	FY14	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21
उद्योग	3.3	3.8	7.0	9.6	7.7	6.3	4.9	0.9	–9.6
खनन	0.6	0.2	9.7	10.1	9.8	4.9	–5.8	3.1	–12.4
विनिर्माण	5.5	5.0	7.9	13.1	7.9	6.6	5.7	0.0	–9.4
विद्युत*	2.7	4.2	7.2	4.7	10.0	11.2	8.2	4.1	2.7
निर्माण	0.3	2.7	4.3	3.6	5.9	5.0	6.1	1.3	–12.6

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21

*विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएँ

16 भारत में सेवा क्षेत्र (Service Sector in India)

सामान्य परिचय (General Introduction)

सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है, जिसमें उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का न केवल प्रभुत्वशाली क्षेत्र है बल्कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भी है, जिसका निर्यातों में भी महत्त्वपूर्ण योगदान है तथा जो बड़े पैमाने पर रोज़गार भी प्रदान करता है। भारत के सेवा क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे- व्यापार, होटल एवं रेस्त्राँ, भंडारण, परिवहन, संचार, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, व्यापारिक सेवाएँ, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएँ तथा निर्माण कार्य से संबद्ध सेवाएँ इत्यादि। भारत के सकल मूल्यवर्द्धन (Gross Value Added–GVA) में 54 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास का प्रमुख संचालक बना हुआ है। सेवा क्षेत्र को 'तृतीयक क्षेत्र' भी कहा जाता है।

विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विकास प्रवृत्ति का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि जो देश विकास पथ पर अग्रसर होते हैं, उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। भारत के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है। 1951 में भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान लगभग 52 प्रतिशत था, देश के जीवीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 18.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में 17.8 प्रतिशत रह गया है, जो कि अर्थव्यवस्था में होने वाली विकास प्रक्रियाओं एवं संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की महत्ता लगातार बढ़ रही है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के सकल मूल्यवर्द्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 54 प्रतिशत से अधिक है।

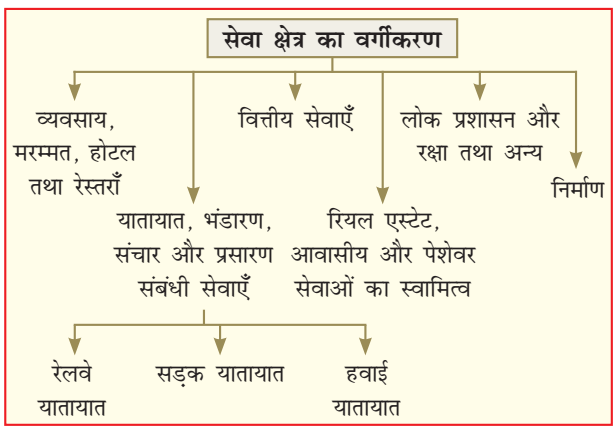

सरकार ने विभिन्न सेवाओं के लिये अनेक योजनाएँ शुरू की हैं। सेवा क्षेत्र में डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं, उपग्रह मानचित्रण और प्रक्षेपण सेवाओं को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन उपायों के साथ-साथ जीएसटी और एफडीआई उदारीकरण ने इस क्षेत्र के लिये विकास की संभावनाओं को उज्ज्वल बनाया है।

भारत में सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन : एक सिंहावलोकन (Service Sector Performance in India : An Overview)

औद्योगीकरण के पश्चात् कृषि आधारित अधिकांश अर्थव्यवस्थाएँ तीव्र औद्योगिक विकास की ओर गतिशील हुईं, जिससे जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के पास आर्थिक शक्ति पहुँची और इस कारण वृद्धि के अगले चरण के फलस्वरूप सेवा क्षेत्र को विकास करने का अवसर मिला। इसी क्रम में अधिकांश अर्थव्यवस्थाएँ उद्योग क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ने लगीं। वर्तमान में सेवा क्षेत्र विश्व का सर्वाधिक गतिशील क्षेत्र है।

- वर्ष 2017 में, सेवा जीवीए वृद्धि दर भारत में 7.9 प्रतिशत पर सबसे अधिक थी।
- सेवा क्षेत्र पर कोविड-19 के असर तथा उसके कारण मार्च 2020 से लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन ने वर्ष 2020 को एक असामान्य वर्ष बना डाला। परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के पूर्वार्द्ध में सेवा क्षेत्र लगभग 16 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) तक संकुचित हो गया। जिसका कारण सभी उप-क्षेत्रों विशेषकर व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण संबंधित सेवाओं से तेजी से आई गिरावट थी जो पूर्वार्द्ध वित्त वर्ष 2020-21 में 31.5 प्रतिशत दर्ज की गई।
- वैश्विक स्तर पर वर्ष 2016 में विश्व रोज़गार में लगभग आधा हिस्सा (50.9 प्रतिशत) सेवा क्षेत्र से संबंधित था।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वर्षों में सेवा क्षेत्र में रोज़गार के सर्वाधिक अवसर होंगे।
- सेवाएँ विश्व व्यापार के सर्वाधिक गतिशील क्षेत्र के रूप में प्रतिनिधित्व करती हैं। अपने आप में महत्त्वपूर्ण होने के साथ ही सेवा क्षेत्र सभी उत्पादों के व्यापार और उत्पादन में प्रमुख आगत उपलब्ध कराकर वैश्विक मूल्य शृंखला और आर्थिक उत्पादन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व व्यापार संगठन का 'सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता' (General Agreement on Trade in Services–GATS) सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये कानूनी आधारभूत नियम उपलब्ध कराता है, जिसके तहत विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों को उनके चयन की सीमा तक विदेशी प्रतिस्पर्द्धा के लिये उनके बाज़ारों को खोलने हेतु लचीलापन प्रदान कराया जाता है।

17 बैंकिंग, वित्तीय प्रणाली एवं मुद्रास्फीति
(Banking, Financial System and Inflation)

वित्तीय बाज़ार (Financial Market)

वित्तीय बाज़ार एक व्यापक बाज़ार है, जहाँ पर अनेक वित्तीय उत्पादों एवं परिसंपत्तियों, जैसे-मुद्राओं, शेयर, बॉण्ड्स, डेरिवेटिव्स और अन्य वित्तीय विपत्रों एवं वित्तीय उपकरणों का क्रय-विक्रय किया जाता है। वित्तीय बाज़ार का प्राथमिक कार्य पूंजी के आधिक्य वाले क्षेत्रों से पूंजी की कमी वाले क्षेत्रों की ओर पूंजी का गतिशीलन सुनिश्चित करना है। वित्तीय प्रणाली से आशय वित्तीय बाज़ार में उपस्थित वित्तीय संस्थाओं से है जो अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाने तथा उसके कुशलतम प्रयोग की ओर गतिशीलता बढ़ाने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

वित्तीय बाज़ार के दो प्रमुख अंग होते हैं-

1. मुद्रा बाज़ार (Money Market)
2. पूंजी बाज़ार (Capital Market)

मुद्रा बाज़ार *(Money Market)*

'मुद्रा बाज़ार' एक ऐसा बाज़ार होता है जहाँ पर विभिन्न मौद्रिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का अल्पकाल (सामान्यतया एक वर्ष की अवधि) के लिये क्रय-विक्रय किया जाता है। मुद्रा बाज़ार में भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता एवं मुद्रा की मात्रा एवं प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। भारत में मुद्रा बाज़ार को दो भागों में बाँटा जा सकता है-1. संगठित/औपचारिक मुद्रा बाज़ार, 2. असंगठित/अनौपचारिक मुद्रा बाज़ार।

भारतीय रिज़र्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है इसलिये मुद्रा बाज़ार को विनियमित करने का उत्तरदायित्व इसका ही है। भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रा बाज़ार में तरलता एवं मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के साथ-साथ प्रमुख नीतिगत दरों का भी निर्धारण करता है। यह भारत में बैंकिंग संरचना का निर्धारण करता है एवं बैंकों के संचालन के लिये नियम-विनियम बनाता है, महत्त्वपूर्ण ब्याज़ दरों का निर्धारण कर मुद्रा के प्रवाह को एक दिशा देता है एवं मुद्रास्फीति एवं मुद्रा अवस्फीति की समस्या का समाधान करते हुए अर्थव्यवस्था में संतुलनकारी स्थिति बनाए रखता है।

भारत में संगठित मुद्रा बाज़ार के तीव्र विस्तार के बावजूद आज भी असंगठित क्षेत्र विद्यमान हैं। असंगठित मुद्रा बाज़ार में देशी बैंकर्स, महाजन, साहूकार, सेठ, चेट्टी इत्यादि प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

पूंजी बाज़ार *(Capital Market)*

'पूंजी बाज़ार' से आशय ऐसे वित्तीय बाज़ार से है जहाँ वित्तीय प्रतिभूतियों एवं संपत्तियों का मध्यम एवं दीर्घकाल (सामान्यतया एक वर्ष से अधिक) के लिये क्रय-विक्रय किया जाता है। पूंजी बाज़ार पूंजी एवं बचत आधिक्य वाले क्षेत्रों से पूंजी निकालकर उन क्षेत्रों तक पूंजी पहुँचाता है जहाँ पूंजी की मांग एवं कमी है। इस प्रकार पूंजी बाज़ार अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में बचत में वृद्धि करने एवं पूंजी के प्रवाह को उत्पादक क्षेत्रों की ओर निर्देशित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूंजी बाज़ार को दो बाज़ारों में बाँटा जाता है- 1. प्राथमिक पूंजी बाज़ार, 2. द्वितीयक पूंजी बाज़ार।

मुद्रा (Money)

मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होती है, जिसके ज़रिये वस्तुएँ एवं सेवाएँ खरीदी एवं बेची जाती हैं। मुद्रा को उस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाए, जो लेखा (Account) की इकाई के रूप में कार्य कर सकती है, क्रय शक्ति का संचय कर सकती है और जिसे ऋण चुकाने के लिये प्रयोग किया जा सकता है। प्रारंभिक भारतीय समाज में मुद्रा के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन प्रारंभ हुआ। परंतु औद्योगीकरण व नगरीकरण के विकास ने मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी अर्थात् कागज़ के नोटों को मुद्रा विनिमय का माध्यम बनाया। अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्राँसिस ए. वॉकर के अनुसार, "मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे।" ("Money is what money does".)

मुद्रा के कार्य *(Functions of Money)*

- **मूल्य का मापक:** मुद्रा ही वह इकाई है, जिसके रूप में सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप की जाती है। प्रत्येक वस्तु और सेवा का यही मूल्य उसकी कीमत कहलाता है। चूँकि कीमत मौद्रिक इकाई में व्यक्त की जाती है, इस कारण वस्तु का मूल्य भी मौद्रिक रूपों में ही व्यक्त किया जाता है।
- **विनिमय का माध्यम:** मुद्रा विनिमय या भुगतान के माध्यम का कार्य करती है। चाहे कोई वस्तु खरीदनी हो या सेवा प्राप्त करनी हो, उसका भुगतान हम मुद्रा के माध्यम से करते हैं। मुद्रा की सहायता से किसी वस्तु एवं सेवा का क्रय-विक्रय आसानी से किया जा सकता है।
- **स्थगित भुगतानों की माप:** मुद्रा से भविष्य में होने वाले भुगतानों की इकाई का काम भी लिया जा सकता है। अनेक अवस्थाओं में किन्हीं कार्यों आदि का भुगतान बहुत बाद में होता है जैसे कि पेंशन, मूलधन और ब्याज़ आदि का भुगतान। मुद्रा का मूल्य तुलनात्मक दृष्टि से स्थिर रहता है और यह अन्य वस्तुओं की तुलना में टिकाऊ होता है। ऋण और उधार में भी भविष्य में भुगतान के लिये मुद्रा को ही स्वीकार किया जाता है।
- **मूल्य का संचय:** मूल्य के संचय का अर्थ है- धन का संचय। जब मुद्रा को मूल्य की इकाई और भुगतान का माध्यम मान लिया जाता

18 लोक वित्त, राजकोषीय नीति एवं कर संरचना
(Public Finance, Fiscal Policy and Tax System)

राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, बजट घाटे, सब्सिडी और हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियाँ 'राजकोषीय नीति' कहलाती हैं। करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक होते हैं। सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा निजी क्षेत्रों के लिये संसाधनों की उपलब्धता, संसाधनों का आवंटन तथा आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका इत्यादि को प्रभावित करती है। इस नीति का संचालन सरकार वित्त मंत्रालय की सहायता से स्वयं करती है। राजकोषीय नीति के तहत अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति में कम-से-कम घाटे का बजट बनाने तथा कम-से-कम हीनार्थ प्रबंधन का सहारा लेने की नीति अपनाई जाती है, साथ-ही-साथ आवश्यक वस्तुओं पर से कर को कम या समाप्त कर दिया जाता है। सब्सिडी को भी बढ़ा दिया जाता है, ताकि आधारभूत वस्तुओं तक आम जनता की पहुँच भी हो सके।

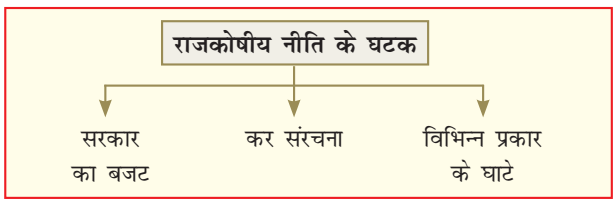

जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की कमी के कारण मंदी जैसी स्थिति हो तब सरकार राजकोषीय नीति की सहायता से करों में कमी तथा सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि के द्वारा समग्र मांग एवं व्यय को बढ़ाने का प्रयास करके मंदी से निकलने की कोशिश करती है। इसके विपरीत जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एवं व्यय की अधिकता के कारण अभिवृद्धि की स्थिति हो तो सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से सार्वजनिक व्ययों में कमी करके तथा करारोपण में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का प्रयास करती है।

बजट (Budget)

बजट पद्धति संसाधनों की उपलब्धता का अनुमान लगाने और फिर उन्हें एक पूर्व निश्चित प्राथमिकता के अनुसार किसी संगठन के विभिन्न कार्यकलापों के लिये आवंटित करने की एक प्रक्रिया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिये प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवाएगा जिसे इस भाग में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा गया है। इस 'वार्षिक वित्तीय विवरण' को ही 'आम बजट' कहा जाता है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार राज्य का 'वार्षिक वित्तीय विवरण' तैयार करती है, जिसे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है।

- सरकार की बजटीय नीति राजकोषीय नीति का महत्त्वपूर्ण भाग होती है। सरकार की बजटीय नीति में सरकार के सभी कार्यक्रमों एवं नीतियों को शामिल किया जाता है। इसके राजस्व पक्ष में कर प्राप्तियों एवं करेतर अन्य प्राप्तियों के रूप में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों को दिखाया जाता है तथा इसके व्यय पक्ष में उपभोग व्यय, निवेश व्यय तथा हस्तांतरण भुगतानों के रूप में सरकार के अनुमानित व्यय को प्रकट किया जाता है।
- 1920–21 के दौरान ब्रिटिश रेलवे अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इसी एकवर्थ समिति (Acworth Committee) की सिफारिशों को आधार बनाकर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि रेलवे एक उद्यम है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य कर सकती है।

नोट: बजट 2017–18 में रेल बजट को आम बजट में समाहित करके पेश किया गया। उल्लेखनीय है कि 2017–18 के बजट के पहले तक रेल बजट को एक अलग बजट के रूप में पेश किया जाता था। वित्तीय वर्ष 2017–18 से बजट प्रस्तुत करने की तिथि में भी बदलाव करके 1 फरवरी कर दिया गया, इससे पूर्व 28 फरवरी या 29 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता था।

- भारत में पहला बजट 18 फरवरी, 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में प्रस्तुत किया गया, जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर, 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर. के. षणमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- केंद्रीय बजट में तीन लगातार वर्षों की प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, जो निम्न प्रकार से व्यवस्थित होते हैं-
  - आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट अनुमान
  - चालू वित्तीय वर्ष के लिये संशोधित अनुमान
  - पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियाँ तथा व्यय

बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों एवं आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। बजट अर्थव्यवस्था की संवृद्धि तथा स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार की राजकोषीय नीति को प्रकट करता है।

19 केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम
(Major Schemes & Programmes of Central Government)

केंद्रीय सरकारी योजनाओं से संबंधित परिभाषाएँ एवं तथ्य
(Definitions and Facts Related to Central Government Schemes)

- अक्टूबर 2015 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के युक्तीकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप समूह (The Sub-Group of Chief Ministers on Rationalisation of Centrally Sponsored Schemes) ने अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को सौंपी थी। इसकी अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इसके आधार पर केंद्र सरकार ने योजनाओं की संरचना और वित्त पोषण में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया।
- केंद्र सरकार की योजनाएँ मुख्यता दो प्रकार की होती हैं-
  1. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ (Central Sector Schemes)
  2. केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (Centrally Sponsored Schemes)
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है तथा इनका संबंध संविधान की सातवीं अनुसूची के संघ सूची में आने वाले विषयों से है। इन्हें संघ सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत कार्य करने वाली संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और ये संघ सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित हैं।
- केंद्र प्रायोजित योजना का संबंध संविधान की सातवीं अनुसूची के राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों से हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है और इनकी आर्थिक लागत को केंद्र और राज्यों के बीच सामान्यत: साझा किया जाता है।
- उप समूह ने सिफारिश की थी कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की कुल संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- केंद्र प्रायोजित योजना को कोर और वैकल्पिक योजनाओं में विभाजित किया गया है।
  - **कोर योजनाएँ:** इसमें वह केंद्र प्रायोजित योजनाएँ शामिल हैं जिनका एजेंडा राष्ट्रीय विकास है तथा यहाँ केंद्र और राज्य सरकार को टीम इंडिया की भावना के साथ मिलकर काम करना है।
  - **कोर ऑफ कोर योजनाएँ:** वे योजनाएँ जो सामाजिक संरक्षण और सामाजिक समावेशन के लिये आवश्यक हैं और नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के लिये उपलब्ध धन पर प्राथमिक रूप से भारित हैं।
  - **वैकल्पिक योजनाएँ:** इन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर है तथा वे इनका चयन करने के लिये स्वतंत्र हैं। इन योजनाओं के लिये वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को एकमुश्त राशि आवंटित की जाती है।
- कोर ऑफ कोर योजनाओं का वित्त पोषण अपने पूर्व रूप में ही जारी रहेगा।
- कोर योजनाओं के संबंध में वित्त पोषण निम्न आधार पर होगा-
  - उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिये केंद्र और राज्य सरकार के मध्य 90:10 में लागत साझा होगी।
  - अन्य राज्यों के लिये केंद्र और राज्य 60:40 में लागत साझा करेंगे।
  - जिन केंद्रशासित प्रदेशों में विधायिका नहीं है वहाँ केंद्र सरकार 100 प्रतिशत और विधायिका वाले संघशासित प्रदेशों में पूर्व निर्धारित वित्त पोषण जारी रहेगा।
- वैकल्पिक योजनाओं के लिये वित्त पोषण निम्न आधार पर होगा-
  - उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिये केंद्र और राज्य सरकार के मध्य 80:20 में लागत साझा होगी।
  - जिन केंद्रशासित प्रदेशों में विधायिका नहीं है वहाँ केंद्र सरकार 100 प्रतिशत और विधायिका वाले संघ शासित प्रदेशों में 80:20 में लागत साझा करेंगे।
- केंद्र प्रायोजित योजना को निर्मित करते समय केंद्रीय मंत्रालय राज्यों को घटकों के चयन में लचीलापन प्रदान करेंगे जैसा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत उपलब्ध है।
- इसके अलावा, प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना में उपलब्ध फ्लेक्सी-फंड को राज्यों के लिये 10 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 25 प्रतिशत और केंद्रशासित प्रदेश के लिये 30 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपनी विशिष्ट आवश्यकताएँ बेहतर तरीके से पूर्ण कर सकें।
- बजट 2021-22 के अनुसार कोर ऑफ कोर योजनाएँ निम्न हैं-
  - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
  - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम - मनरेगा
  - अनुसूचित जातियों के विकास के लिये अम्ब्रेला योजना
  - अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये अम्ब्रेला योजना
  - अल्पसंख्यकों के विकास के लिये अम्ब्रेला कार्यक्रम
  - अन्य कमज़ोर समूहों के विकास के लिये अम्ब्रेला कार्यक्रम
- कोर योजनाओं में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नील क्रांति इत्यादि योजनाएँ शामिल हैं।

20

भारत का वैदेशिक क्षेत्र
(External Sector of India)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- कोविड-19 महामारी ने 2020 महामंदी (ग्रेट डिप्रेशन) के बाद से सबसे बुरी वैश्विक मंदी को जन्म दिया है; हालाँकि, शुरू में जिस प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव की आशंका थी उसकी तुलना में कम नुकसान होने की उम्मीद है। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण वैश्विक व्यापार में भारी गिरावट आई है, वस्तुओं की कीमतें कम हुई हैं और संकुचित बाहरी वित्तपोषण की स्थिति में चालू खाता शेष और विभिन्न देशों की मुद्राओं पर अलग-अलग दुष्प्रभाव पड़े हैं। वैश्विक व्यापारिक व्यवसाय 2020 में 9.2 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है। कम आयात की वजह से चीन और अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है।
- भारत के वैश्विक व्यापार की बदलती प्रकृति रत्न और गहने, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में कमी और दवाओं और फार्मा, सॉफ्टवेयर और कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में सुधार के रूप में प्रकट हुई है। विशेष रूप से, फार्मा निर्यात ने इस अवसर का उपयोग भारत के कुल निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिये किया और भारत को दुनिया की फार्मेसी होने की संभावना को इंगित किया। समायोज्य (रिज़िलिएंट) सॉफ्टवेयर सेवा निर्यातों के समर्थन से भारत को चालू वित्त वर्ष के दौरान चालू खाते में 17 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से अधिशेष देखने की उम्मीद है।
- दूसरी ओर, पूंजी खाता शेष, मज़बूत एफडीआई और एफपीआई प्रवाह से मज़बूत हुआ है। इन परिवर्तनों के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है, जो 8 जनवरी, 2021 तक $ 586.1 बिलियन के उच्च स्तर तक पहुँच गया। विदेशी मुद्रा बाज़ार में आरबीआई का हस्तक्षेप अस्थिरता और रुपये के एकतरफा अधिमूल्यन को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रहा है। हालाँकि इस हेडलाइन मुद्रास्फीति के उच्च स्तर ने आरबीआई के समक्ष शास्त्रीय ट्राइलेमा (त्रिधापाश) की स्थिति उत्पन्न की है, जिससे एक ओर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाली संकुचित मौद्रिक नीति एवं वृद्धि के प्रोत्साहन के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखा जा सके। इस पृष्ठभूमि से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न प्रयास किए गए जिसमें शामिल हैं-उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट (आरओडीटीईपी), व्यापार लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढाँचे में सुधार और डिजिटल प्रयास निर्यात को सुगम बनाने में अधिक सहायक होंगे।
- कोविड-19 ने वैश्विक मूल्य शृंखलाओं की बढ़ती परस्परता द्वारा उत्प्रेरित प्रसार के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। परिणामी संकट ने वैश्विक व्यापार में तीव्र गिरावट, कमोडिटी/माल की कीमतों में गिरावट, बाहरी वित्तपोषण की खराब स्थिति और चालू खाता शेष और मुद्राओं के लिये अलग-अलग प्रभाव के साथ एक तीव्र आघात किया है। वर्ष 2020 के पहले पाँच महीनों में माल व्यापार (गुड्स ट्रेड) की वैश्विक मात्रा 2019 की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम थी- जो वैश्विक संकट के पहले पाँच महीनों में अप्रत्याशित अधिक संकुचन वाली स्थिति रही।

भुगतान संतुलन खाता (Balance of Payment Account)

- 'भुगतान संतुलन' का अर्थ है- एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देशों के साथ एक वर्ष के दौरान किया गया आर्थिक लेन-देन, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं तथा आय का लेन-देन शामिल होता है। यह मौद्रिक लेन-देन वस्तुओं के निर्यात एवं आयात (दृश्य मदें), सेवाओं के निर्यात एवं आयात (अदृश्य मदें), वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे- स्टॉक्स, बॉण्ड्स के अंतर्राष्ट्रीय क्रय-विक्रय, वास्तविक परिसंपत्तियों, जैसे- प्लांट एवं मशीनरी के अंतर्राष्ट्रीय क्रय-विक्रय के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। यह लेन-देन जिस खाते में दर्ज किया जाता है उसे ही 'भुगतान संतुलन खाता' कहते हैं। किंडलबर्गर के शब्दों में, *"एक देश का भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों तथा विदेशी देशों के निवासियों के बीच में किये गए सभी आर्थिक सौदों का क्रमबद्ध लेखा है।"* इसके दो पक्ष होते हैं- 1. क्रेडिट साइड, 2. डेबिट साइड।
- क्रेडिट साइड में उन मदों को दिखाया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा आती है, जबकि डेबिट साइड में उन मदों को दिखाया जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा बाहर जाती है।

भुगतान संतुलन खाता में दिखाई जाने वाली मदों को दो भागों में बाँटा गया है-

1. **दृश्य मदें (Visible Items):** इसके तहत भौतिक वस्तुओं के आयात-निर्यात को भुगतान संतुलन खाते में वस्तु खाता (Goods A/c) के तहत दिखाया जाता है। सामान्य तौर पर किसी देश के आयात-निर्यात का अर्थ वस्तु खाते से लगाया जाता है अर्थात् किसी देश के आयात-निर्यात का अर्थ दृश्य मदों के आयात एवं निर्यात से होता है और इन दृश्य मदों के आयात-निर्यात का अंतर 'व्यापार संतुलन' (Balance of Trade) कहलाता है।
2. **अदृश्य मदें (सेवाएँ) (Invisible Items):** अदृश्य मदों में सेवाएँ आती हैं और इसके आयात-निर्यात को सेवा खाता (Service A/c) के तहत दिखाया जाता है अर्थात् सेवाओं के आयात-निर्यात का अर्थ है, अदृश्य मदों का आयात-निर्यात।

इसके तहत निम्नलिखित मदें आती हैं-

- बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ, बीमा कंपनी, जहाज़रानी तथा एयरलाइंस से प्राप्त आय एवं किया गया भुगतान;

21 महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समूह एवं समझौते
(Important International Organisation, Groups and Agreements)

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund)

- 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' (International Monetary Fund–IMF) की कल्पना पहली बार वर्ष 1944 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैंपशायर नामक शहर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर किया गया था।
- ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) के गठन की भी कल्पना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व बैंक समूह की महत्त्वपूर्ण संस्था है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (विश्व बैंक) को प्रायः संयुक्त रूप से ब्रेटन वुड्स के जुड़वाँ (Bretton Woods Twins) के नाम से जाना जाता है।
- ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णयानुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की औपचारिक स्थापना 27 दिसंबर, 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर में हुई थी, लेकिन इसने वास्तविक रूप से 1 मार्च, 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में 190 सदस्य हैं। अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने वाला सबसे नया (190वाँ) देश है।
- क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (Kristalina Georgieva) वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक हैं। इसके प्रथम प्रबंध निदेशक कैमिल गट्ट (Camille Gutt) थे।

नोट: क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने IMF में क्रिस्टिन लगार्ड की जगह ली है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ज़िम्मेदारियाँ *(Responsibilities of IMF)*

- अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना;
- सभी सदस्य देशों के आर्थिक विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को सुविधाजनक बनाना;
- सदस्य देशों की मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देना;
- सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्या के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना;
- बहुपक्षीय भुगतानों (Multilateral Payments) की व्यवस्था स्थापित करके विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना अथवा कम करना;
- धन शोधन (Money Laundering) तथा आतंकवाद के वित्तीयन को रोकने हेतु सदस्य देशों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना;
- विश्व में गरीबी को कम करने के लिये प्रयास करना।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रशासनिक संरचना *(Administrative Structure of IMF)*

- गवर्नर मंडल (Board of Governors) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सर्वोच्च निर्णायक संस्था है, जिसमें इसके सभी 190 सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। कोष के गवर्नर मंडल में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा गवर्नर नियुक्त किया जाता है, जो उस सदस्य देश का वित्त मंत्री अथवा उसके केंद्रीय बैंक का गवर्नर होता है। इसके साथ ही प्रत्येक देश द्वारा कोष के गवर्नर मंडल में एक वैकल्पिक गवर्नर भी नियुक्त किया जाता है, जो गवर्नर की अनुपस्थिति में गवर्नर मंडल की बैठकों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह के गवर्नर मंडल अपने संबंधित संस्थानों के काम पर चर्चा करने हेतु सामान्यतः वर्ष में एक बार मिलते हैं। वहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल को सलाह प्रदान करने हेतु गठित 24 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (IMFC) की बैठकों का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है। पहली बैठक 'बसंत बैठक' (Spring Meeting) के नाम से जानी जाती है, जो प्रायः अप्रैल महीने में आयोजित की जाती है, जबकि दूसरी बैठक 'वार्षिक बैठक' (Annual Meeting) के नाम से जानी जाती है, जो प्रायः प्रति वर्ष सितंबर-अक्तूबर माह में आयोजित की जाती है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल ने अपनी अधिकांश शक्तियों को कार्यकारी मंडल (Executive Board) के पक्ष में प्रत्यायोजित (Delegate) कर दिया है, लेकिन सदस्य देशों का कोटा बढ़ाने, विशेष आहरण अधिकार (SDR) आवंटन, नए सदस्यों का प्रवेश, सदस्यों की अनिवार्य वापसी तथा समझौते के अनुच्छेदों (Articles of Agreement) एवं उपविधि (By-laws) में संशोधन करने के अधिकार अभी भी गवर्नर मंडल के पास हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी मंडल इसके दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों की देखभाल करता है। कार्यकारी मंडल में कुल 24 कार्यकारी निदेशक होते हैं, जिनका चयन गवर्नर मंडल द्वारा किया जाता है। कार्यकारी मंडल में सभी 190 देशों का प्रतिनिधित्व होता है। इसके लिये सदस्य देशों को 24 समूहों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक समूह से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया जाता है, जो उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल को दो मंत्रिमंडलीय समितियों की सलाह प्राप्त होती है-
  - अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (International Monetary and Financial Committee–IMFC)
  - विकास समिति (Development Committee)

घर बैठे IAS/PCS की संपूर्ण तैयारी करने के लिये आपका स्वागत है

Drishti Learning App

पर

GET IT ON Google Play

अपने एंड्रॉयड फोन पर आज ही इंस्टॉल करें

ऐप की विशेषताएँ

- टीम दृष्टि द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएँ एक ही मंच पर।
- ऑनलाइन, पेनड्राइव मोड में कक्षाएँ उपलब्ध।
- प्रिलिम्स और मेन्स की टेस्ट सीरीज़ भी ऐप के माध्यम से उपलब्ध।
- सभी पुस्तकें, मैगजीन, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नोट्स देखने व मंगवाने की सुविधा।

ऑनलाइन कोर्स की विशेषताएँ

- घर बैठे देश के सर्वोत्कृष्ट अध्यापकों से पढ़ने की सुविधा।
- अब दिल्ली या किसी बड़े शहर जाकर पढ़ने की मजबूरी नहीं।
- IAS और PCS के कोर्स उपलब्ध।
- ऑनलाइन कोर्स करने के बाद, क्लासरूम कोर्स में प्रवेश लेने पर शुल्क में विशेष छूट।
- हर क्लास अपनी सुविधा से 3 बार देखने की सुविधा।
- उत्तर लिखकर चेक कराने तथा संदेह-समाधान की व्यवस्था भी शीघ्र उपलब्ध।
- कई विषयों के कोर्स ऑनलाइन और पेनड्राइव मोड में भी उपलब्ध।

दृष्टि आई.ए.एस. (दिल्ली शाखा) का पता
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
8448485519, 87501 87501,
011-47532596

दृष्टि आई.ए.एस. (प्रयागराज शाखा) का पता
ताशकंद मार्ग, निकट पत्रिका चौराहा, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
8448485518, 8750187501, 8929439702

दृष्टि आई.ए.एस. (राजस्थान शाखा) का पता
प्लॉट नंबर-45 व 45-A, हर्ष टावर-2, मेन टोंक रोड,
वसुंधरा कॉलोनी, जयपुर राजस्थान-302018
8448485518, 8750187501, 8929439702

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें

प्रिलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ की पुस्तकें

RAS Book सीरीज़ की पुस्तकें

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
Ph.: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

मूल्य : ₹410